न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:—55/2015
जी.सी.एम.एस नं.—2015/00186

1. बलवीरसिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मलूकसिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम्

1. बूटासिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 2 पीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)
2. सरजीतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 2 पीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगागनर (राज.)
3. गुरमीतसिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 2 पीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित—

1. श्री हसंराज डाल एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री अमित त्यागी एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांक:—** 25/02/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—26 पत्थर नं.—61/36 का किला नं.—3, 8, 12, 13/1, 13/2, 18, 19, 22/1, 23 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का घेरलु बंटवारा दिनांक 07.09.2018 के प्रकाश मे वादीगण को 1/2—1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने बाबत प्रतिवादी सं.—4 को आदेशित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं.—1 ता 3 को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.—1 ता 3 की तरफ से श्री अमित त्यागी एडवोकेट उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 1 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 07.08.2018 को वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] सिंह आदि का राजीनामा हुआ था जिसमें प्रत्येक को 2 बीघा भूमि आई थी जिसमें दिनांक 07.08.2018 को राजीनामा के आधार पर मु.नं. 26/2016 बूटासिंह बनाम जटोबाई [illegible]क 07.08.2018 को डिक्री फरमाया जाकर खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी हो चुकी थी। नकल सलग्न प्रार्थना पत्र है जो जमीन चक 10 एच का मुरब्बा नम्बर 61/36 का 13 बीघा, मुरब्बा नम्बर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:55 IST
Reason: SelfAttested

61/37 का 2 बीघा कृषि भूमि का विभाजन किया गया था। दिनांक 07.08.2018 को राजीनामा के आधार पर वाद पत्र डिक्री श्रीमान न्यायालय द्वारा ही किया गया था। दिनांक 07.09.2018 को किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ। राजीनामा दिनांक 07.09.2018 पूर्णतया कूटरचित व फर्जी है जिसकी पुलिस थाना में कार्यवाही जेरकार है। रामसिंह ने किसी भी न्यायालय में कोई वाद पत्र पेश नहीं किया एवं ना ही रामसिंह ने कोई जमीन उपरोक्त खरीद की है। रामसिंह 2013 में फौत हो चुका है। चक 2 पी एम का मुरब्बा नम्बर पत्थर नम्बर की हैक्टर भूमि पौंग बांध विस्थापित जमीन है जो रिकार्ड में शांतिदेवी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है जिस पर मलूकसिंह व बलवीरसिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा है. किसी दुसरे की जमीन का बंटवारा नहीं करवाया जा सकता। कानून में यह स्पष्ट है कि संयुक्त खातेदार ही अपनी भूमि का बंटवारा करवा सकते हैं और श्रीमान द्वारा चक 10 एच में उपरोक्त सभी संयुक्त खातेदार का बंटवारा डिक्री जारी कर दिया गया है इसलिए शांतिदेवी की जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता है जो कानूनी है। राजीनामा दिनांक 07.09.2018 का जो पूर्णतया फर्जी व कूटरचित है जिसमें शांतिदेवी पौंग बांध विस्थापित की जमीन का बंटवारा कराया गया जो विधि विरूद्ध है। शांतिदेवी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा फर्जी व कूटरचित राजीनामा स्वंय द्वारा तैयार कर असल के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो शांतिदेवी पौंग बांध को आवेंदन जमाबन्दी शांतिदेवी के नाम से दर्ज है जिसको उपरोक्त राजीनामा का बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कि राजीनामा दिनांक 07.09.2018 सही व दुरूस्त अस्वीकार है जो किसी भी प्रकार से फर्जी व कूटरचित नही है राजीनामा फर्जी व कूटरचित होना कथन करते हुए पुलिस थाना अनूपगढ़ में जो कार्यवाही की गई थी उसमे पुलिस ने बाद जांच एफआर लगा दी हैं राजीनामा किसी प्रकार से फर्जी व कूटरचित नही है तथा पुलीस ने अपनी जांच में राजीनामा को सही माना है तथा एफआर पेश की गई तथा चक 10 एच की कृषि भूमि पर मुताबिक राजीनामा दिनांक 07.09.2018 के आधार पर शांतिपूर्वक वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है तथा मुझ वादी का धारा 212 आर टी एक्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र वाद के निस्तारण मेरे पक्ष में निर्णित हो चुका है तथा दावे को महज ओदश 7 नियम 11 के आधार पर खारिज नही किया जा सकता है प्रकरण में साक्ष्य मैरिट पर निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक व उचित है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीगण/प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस[illegible] वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना प[illegible] को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि चक 2 [illegible] नम्बर की हैक्टर भूमि पौंग बांध विस्थापित जमीन है जो रिकार्ड में शांति[illegible] गैर खातेदारी दर्ज है जिस पर मलूकसिंह व बल[illegible]हीं रहा है. किसी दुसरे की जमीन का बंटवारा नहीं करवाया जा सकता। कानून में यह स्पष्ट है कि संयुक्त खातेदार ही अपनी भूमि का बंटवारा करवा सकते हैं और श्रीमान द्वारा चक 10 एच में उपरोक्त सभी संयुक्त खातेदार का बंटवारा डिक्री जारी कर दिया गया है इसलिए शांतिदेवी

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 13:28:55 IST
Reason: SelfAttested

की जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता है जो कानूनी है। वादीगण का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में चक 2 पीएम कृषि भूमि पौंग बांध से विस्थापित शांति देवी की जमीन है जो रिकार्ड में शांतिदेवी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है पोंग बांध विस्थापित की भूमि का वादी सह–काश्तकार नहीं है ना ही पौंग बान्ध विस्थापित शांति देवी की कृषि भूमि कें संबंध में वादी दावा ला सकता है। किसी दुसरे की जमीन का बंटवारा नहीं करवाया जा सकता। कानून में यह स्पष्ट है कि संयुक्त खातेदार ही अपनी भूमि का बंटवारा करवा सकते है। इसलिए शांतिदेवी की जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता है। चक 10 एच की कृषि भमि के सबंधं में न्यायालय में पूर्व में बंटवारा का वाद पेश किया गया था तथा वाद पेश करने के पश्चात राजीनामा होना व मुताबिक राजीनामा पूर्ववती वाद निर्णीत एवं डिक्री होना व राजीनामा निर्णय/डिक्री के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्वीकार है। राजीनामा निर्णय/डिक्री अन्तिम हो चुके है। चक 10 एच की कृषि भूमि के संबंध में पुनः वादीगण द्वारा हस्तगत वाद–पत्र पोषणीय नहीं है। वादीगण का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous And Vexatious एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादी सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 25/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:55 IST
Reason: SelfAttested